

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	<b>2231.42</b>	...	<b>2231.42</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2580.34</b>	...	<b>2580.34</b>
<i>वसूलियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2231.42</b>	...	<b>2231.42</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2580.34</b>	...	<b>2580.34</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	26.87	...	26.87	32.31	...	32.31	31.61	...	31.61	32.31	...	32.31
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1239.10	...	1239.10	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00	1474.97	...	1474.97
3. औद्योगिक और उद्यमिता विकास	210.94	...	210.94	249.24	...	249.24	249.24	...	249.24	280.20	...	280.20
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1450.04</b>	...	<b>1450.04</b>	<b>1599.24</b>	...	<b>1599.24</b>	<b>1599.24</b>	...	<b>1599.24</b>	<b>1755.17</b>	...	<b>1755.17</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
4. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता	724.51	...	724.51	748.98	...	748.98	749.68	...	749.68	761.86	...	761.86
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
5. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	30.00	...	30.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>754.51</b>	...	<b>754.51</b>	<b>779.98</b>	...	<b>779.98</b>	<b>780.68</b>	...	<b>780.68</b>	<b>792.86</b>	...	<b>792.86</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2231.42</b>	...	<b>2231.42</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2580.34</b>	...	<b>2580.34</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2204.55	...	2204.55	2219.29	...	2219.29	2219.99	...	2219.99	2372.51	...	2372.51
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.87	...	26.87	32.31	...	32.31	31.61	...	31.61	32.31	...	32.31
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2231.42</b>	...	<b>2231.42</b>	<b>2251.60</b>	...	<b>2251.60</b>	<b>2251.60</b>	...	<b>2251.60</b>	<b>2404.82</b>	...	<b>2404.82</b>
<b>अन्य</b>												

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	159.93	...	159.93	159.93	...	159.93	175.52	...	175.52
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>159.93</b>	...	<b>159.93</b>	<b>159.93</b>	...	<b>159.93</b>	<b>175.52</b>	...	<b>175.52</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2231.42</b>	...	<b>2231.42</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2411.53</b>	...	<b>2411.53</b>	<b>2580.34</b>	...	<b>2580.34</b>

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय आर्थिक सेवाएँ यह प्रावधान जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीवीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के अधीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना, बायोटेक सुविधाएँ, उत्कृष्टता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पहचान किए गए प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल हैं।

3. **औद्योगिक और उद्यमिता विकास:** वे स्कीमें जिनके लिए सहायता दी जाती है जिसमें सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम, बायोक्वस्टर और बायोटेक पार्क शामिल हैं।

4. **स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान नामतः (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली; ii) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव; v) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, संस्थान; xiii) स्टेम कोशिका विज्ञान एवं संजीवनी औषधि संस्थान, बेंगलुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली; और xvi) अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, नई दिल्ली है।

5. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद:** यह प्रावधान विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैसे लाभ के लिए काम नहीं कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए किया गया है।